




194

निगरानी प्रकरण क्रमांक 39/2016



R5078 II/16

धनी नगरिका तहसील के मागीरधी मिना निवासी ग्राम भंसारहा, सहस्रोल

राजपुर नैफिम जिला सीधी 4090

निगरानी क्रमांक

विरुद्ध

- 1- बालूचल तनय गंगाधरकार
- 2- सुखलाल तनय गंगाधरकार धनी निवासी ग्राम भंसारहा, सहस्रोल भिपुर नैफिम,

जिला सीधी 4090

नैर निगराकारगण


श्री. रम. जय. तिवारी एड
द्वारा आज दिनांक 15-2-16 को प्रस्तुत किया गया।

रीडर
सर्किट कोर्ट सीवा

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 4090 मूराजस्व
संज्ञिता एम 1959 विरुद्ध आवेदक श्रीमान् बले
सीधी जिला सीधी के राजस्व प्रकरण क्र 39/ निगरा
1998-99 में पारित आवेदक दिनांक 8 फरवरी
2016 को।

मान्यवर, निम्न निगरानी अन्वय के अतिरिक्त निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत है:-

- 1- यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आवेदकविधि एवम प्रक्रिया के विपरित होने से कायिल निरस्त किये जाने योग्य है।
- 2- यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का ठीक ढंग से अवलोकन नहीं किया मात्र सरसरी तौर पर प्रकरण को देखीं हुए प्रश्नाधीन आवेदक पारित किया है यदि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का ठीक ढंग से अवलोकन किया गया तो प्रकरण को पारित नही किया जाता।




राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-R.5078-II/16

जिला-सीधी

अंजनी कुमार मिश्रा/बाबूलाल चर्मकार

(1)	(2)	(3)
25.05.17	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत।2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	